

Speed post /त्रिब डाक

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Violation letter/उल्लंघन पत्र**

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: 2279/MCDR-MPC0LST/1/2022-AJM-IBM_RO_AJM दिनांक: /11/2024

प्रेषित: नोमीनेटेड ओनर,

बसंतगढ़ चुनापत्थर खान,
मेसर्स जे के लक्ष्मी सिमेन्ट लिमिटेड,
गाँव: जे के पुरम बसंतगढ़, तहसील: पिंडवारा,
जिला: सिरोही (राजस्थान), पिन: 307019

(e-mail: arun.shukla@jkm.com, rkeswani@lc.jkm.com, rohit.solanki@lc.jkm.com)

विषय: राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित आपकी बसंतगढ़ चुनापत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 11/11/2024 and 12/11/2024 by undersign in presence of your Sri Rohit Solanki, Mine Manager and Sri A.D. Saxena, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	<p>Mining operations have not been carried out in accordance to Modification of Review of Mining Plan approved on 27/01/2023 to the extent given below for the year 2023-24:</p> <p>(1) A pit has been developed over non-approved i.e. between grid 299420 to 299494 E and 2731252 to 2731350N.</p> <p>(2) Area of 170.50 hectare was proposed to use under mining at the end of the year 2023-24. However, as per uploaded KMZ/KML file under annual return for the year 2023-24, an area of 171.29 hectare has been degraded under mining.</p> <p>(3) Retaining wall and garland drain has not been constructed over the proposed area.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार,सिरोही।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर